न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/33/2017

उनवान

1. श्रीमती जगदीश कंवर पुत्री गुलाबसिंह पत्नि बहादुर सिंह मड़तिया निवासी रामाजी का गुढा तहसील राणी जिला पाली

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री भगवानसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल
2. श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल
3. श्री महेन्द्रपाल सिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल
4. श्रीमती कोशल्या कंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल
5. श्री शंकर सिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी देवगांव तहसील कांकरोली जिला राजसमन्द
6. श्री शिव सिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी देवगांव तहसील कांकरोली जिला राजसमन्द
7. श्रीमती राजकंवर पुत्री गुलाबसिंह राजपूत मृतक के बजाय–
   7/1–देवेन्द्रसिंह पिता करणसिंह राठौड़ निवासी अरणिया(जावदा नीमड़ी) तहसील रावतभाटा जिला चितौड़गढ
   7/2–सरिता कंवर पुत्री करणसिंह राठौड़ पत्नि सुखपाल सिंह राजपूत निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ
8. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा पांसल जरिये शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल

रेस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
के प्रकरण संख्या 242/14 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2016

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया , अधिवक्ता अपीलाथीगर्ण
2. श्री एस0एल0वेद अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 7/1,7/2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 04.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल में स्थित हाल आराजी संख्या 772, 961,1035, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1156, 1157, 1158, 1159, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1177, 1233, 1315, 1341, 1367, 1368, 1633, 1634, 1635 कुल कीता 47 कुल रकबा 85 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादीया के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1,5,6,7 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा व प्रतिवादी संख्या 4 के दादा श्वसुर गुलाबसिंह पिता रतनसिंह राजपूत के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की थी। गुलाबसिंह पिता रतनसिंह का दिनांक 30.12.2002 को निधन हो गया, उनके निधन उपरान्त उक्त वर्णित आराजीयात वादीण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6 व 7 एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पति लक्ष्मणसिंह के नाम पर उनके प्रथम श्रेणी वारिसान होने से अभिलिखत की जानी चाहिए थी। किन्तु उक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 भगवानसिंह एवं उनके भ्राता लक्ष्मणसिंह के नाम पर ही गलत एवं अवैध तरीके से अभिलिखित कर दी गयीं । जबकि गुलाबसिंह जी के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

शंकरसिंह, शिवसिंह, राजकंवर एवं वादीया जगदीश कंवर आदि प्रथम श्रेणी के वारिसान होकर उक्त आराजीयात पर अपने–अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। इंतकाल संख्या 1151 जो उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में गुलाबसिंह जी की मृत्यु उपरान्त पटवार हल्का द्वारा खोला गया, उसमें भी गुलाबसिंह के उक्त व्यक्त्यिों को ही अर्थात भगवानसिंह, लक्ष्मणसिंह, शंकरसिंह, शिवसिंह, राजकंवर एवं जगदीश कंवर को वारिसान होना दर्शाया गया तथा नामान्तरकरण पर जो सजरा दिया गया है उसमें भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है किन्तु तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच ने प्रतिवादी संख्या 1 एवं लक्ष्मणसिंह से सांठ–गांठ एवं मिला भगती कर पटवार हल्के की रिपोर्ट के विपरीत उक्त नामान्तरकरण मात्र प्रतिवादी संख्या 1 एवं लक्ष्मणसिंह के नाम फैसल कर दिया। जो विधि के सर्वथा विपरीत होकर वादीया के मुकाबले में प्रभावहीन होकर शून्य है। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षित कार्यवाही होती है। जिससे पक्षकारों के हकों एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है इस प्रकार तथाकथित इंतकाल संख्या 1151 विधि के विपरीत होकर प्रारंभ से ही शून्य है जिससे कोई हक व अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 भगवानसिंह एवं लक्ष्मणसिंह को विवादित आराजीयात में प्राप्त नहीं हुये हैं न कानूनन होते हैं। तथाकथित इंतकाल के प्रभाव के कारण उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में गलत एवं अवैध तरीके से भगवानसिंह एवं लक्ष्मणसिंह के नाम पर अभिलिखित कर दी गयी, जिसका नाजायज फायदा उठा प्रतिवादी संख्या 1 भगवानसिंह एवं लक्ष्मणसिंह ने अपने ही उक्त आराजीयात का सहमति के आधार पर विभाजन कर लिया तथा इस सम्बन्ध में पुनः एक तथाकथित इंतकाल संख्या 1556 दिनांक 09.01.2008 को फैसल कर दिया गया जो भी प्रारम्भ से ही वादीया के मुकाबले में गलत अवैध

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होकर शून्य है। क्योंकि जिस तथाकथित इंतकाल संख्या 1151 के आधार पर जब कोई हक व अधिकार ही लक्ष्मणसिंह, भगवानसिंह को उक्त आराजीयात में प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर उसका विभाजन किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । वैसे भी उक्त आराजीयात पर कब्जा भगवानसिंह एवं लक्ष्मणसिंह का न होकर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 का भी संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के साथ वर्तमान में भी हो चला आ रहा है। इस प्रकार तथाकथित विभाजन के फलस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर निम्न आराजीयात वर्तमान में खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122 कुल कीता 17 कुल रकबा 28 बीघा 03 बिस्वा के अभिलिखित चली आ रही है।

2. इसी प्रकार उक्त तथाकथित विभाजन से लक्ष्मणसिंह के नाम पर निम्न आराजी नम्बर 1035, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1166, 1167, 1168, 1169,1171 कुल कीता 13 कुल रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा के अलावा भगवानसिंह एवं लक्ष्मणसिंह के संयुक्त खातेदारी में निम्न आराजी नम्बर 772, 961, 1156, 1157, 1158, 1159,1170, 1172, 1177, 1233, 1315, 1341, 1367, 1368, 1633, 1634, 1635 कुल कीता 14 कुल रकबा 29 बीघा 03 बिस्वा भूमि समस्त आराजीयात को आगे वाद में विवादित आराजीयात से सम्बोधित किया जावेगा। विवादित आराजीयात गुलाबसिंह जी की होने से वादीया का उसमें जन्म से ही 1/6 हक हिस्सा निहित है तथा इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1, 5, 6, 7 का भी 1/6, 1/6 हक हिस्सा निहित है। तथा लक्ष्मणसिंह की मृत्यु हो जाने से उनका 1/6 हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 में निहित हो गया है। और इसी हक व हिस्से से वादी एवं प्रतिवादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 1 से 7 विवादित आराजीयात पर काबिज हो उपयोग–उपभोग संयुक्त रूप से करते चले आ रहे हैं।

3. यह कि वादीया को अभी हाल ही में दिनांक 12.09.2014 को विवादित आराजीयात की जमाबन्दी की नकलें प्राप्त की तो उक्त विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर ही दर्ज होने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस पर वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को क्यों कर उक्त विवादित आराजीयात गलत तरीके से तन्हा उनके नाम पर अभिलिखित कराई के बाबत उलाहना देते हुये पुनः विवादित आराजीयात 1/6–1/6 हक व हिस्से से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम खातेदारी हक से अभिलिखित कराने हेतु दिनांक 01.10.2014 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। प्रतिवादी संख 1 से 4 विवादित आराजीयात के 1/6 हक हिस्से का खातेदारी काश्तकार होना भी वादीया को नहीं मानते हैं। इस कारण यह घोषणा की जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि वादीया विवादित आराजीया के 1/6 हक व हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 भी 1/6 प्रतिवादी संख्या 2 से 4 भी 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 7 प्रत्येक भी 1/6–1/6 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार है तद्नुसार विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख में भी इन्द्राज दुरूस्ती करायी जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

4. यह कि विवादित आराजीयात वर्तमान में वाद की चरण संख्या 4 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर तन्हा अभिलिखित होने से वे कभी भी उक्त गलत एवं अवैध इन्द्राज का नाजायज फायदा उठा विवादित आराजीयात को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित कर सकते हैं तथा वादीया को भी विवादित आराजीयात के 1/6 हक व हिस्से से जबरन बेदखल कर सकते हैं। वादीया द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 विवादित आराजीयात को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित नहीं करे, करावें तथा न वादीया को विवादित आराजीयात के 1/6 हक व हिस्से से जबरन बेदखल ही करें। बिनाय वाद दिनांक 12.09.2014 एवं 01.10.2014 से उत्पन्न होकर जारी है। अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण पारित अपीलाधीन निर्णय में वादीया का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम सुरास में आराजीयात कीता 47 रकबा 85 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्व0 गुलाबसिंह जी की थी। गुलाबसिंहजी के 4 पुत्र व 2 पुत्रियां थी। परन्तु नामान्तरकरण संख्या 1151 दिनांक 20.05.2003 से केवल भगवानसिंह व लक्ष्मणसिंह के नाम पर दर्ज कर दी। इसके पश्चात उक्त आराजीयात का जरिये इन्तकाल संख्या 1556 दिनांक 09.01.2008 से बटवाड़ा कर लिया। हमारे द्वारा उक्त दोनों नामान्तरकरणों को चेलेन्ज किया है। वादोक्त आराजीयात जागीरदार होने से गुलाबसिंहजी की थी। गुलाबसिंहजी ने जरिये वसीयत आराजीयात भगवानसिंह व लक्ष्मणसिंह के नाम कर दी। वादोक्त भूमियां पैतृक होने से यह वाद प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 का निर्णय वादीया के अनुतोष के आधार पर नहीं किया है। अतः अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा वसीयत को आधार मानकर निर्णय किया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम पंचायत के द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1151 श्री भगवानसिंह व लक्ष्मणसिंह के पक्ष में निर्णित किया उसमें अंकित किया कि शिवसिंह, शंकरसिंह गोद चले गए हैं तथा जगदीश कंवर व राजकंवर हिस्सा नहीं चाहते हैं परन्तु इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के द्वारा कोई प्रार्थनापत्र/दस्तावेज रेकार्ड पर प्राप्त नहीं किए हैं। मुझ वादीया की न तो सहमति है एवं न ही कोई हस्ताक्षर है। वादोक्त आराजीयात रतनसिंह जी की थी जिनका निधन 1944 में होने से गुलाबसिंहजी को जागीरदार अधिकार प्राप्त हुए। आराजीयात पैतृक है जिससे भगवानसिंह व लक्ष्मणसिंह के पक्ष में वसीयत की गई वह प्रभावहीन होकर शून्य है। जागीरदार रिजम्प्सन एक्ट 1952 की धारा 9 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13 के अनुसार जागीरदार से प्राप्त होने वाली भूमि पैतृक है। इस सम्बन्ध में 1984 एआइआर पेज 174, 2018(1)सीजे(सीआइवी.) (एससी) 145 (सुप्रीम कोर्ट) सुमन सुरपुर व अन्य बनाम अमर व अन्य सिविल अपील संख्या 188–189/2018 निर्णय दिनांक 01.02.2018, 1990 एआइआर(सुप्रीम कोर्ट) 1742 रामप्यारी बनाम भागवन्त व अन्य सिविल अपील संख्या 4499/1986 निर्णय दिनांक 06.03.1990, 2006 एआइआर(सुप्रीम कोर्ट) 1895 जोसेफ एन्टोनी के वारिसान बनाम ए.जे.फ्रान्सिस सिविल अपील संख्या 4009/1998 निर्णय दिनांक 03.04.2006 के विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए है। वसीयत फर्जी है, वसीयत को साबित नहीं कराया है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमा कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि वादोक्त आराजीयात पैतृक है या नहीं मुख्य बिन्दु यही है। सहदायिकी उत्तराधिकार मानकर ही अपील की गई हैं। अपीलार्थी जगदीश कंवर के पिता गुलाबसिंह का निधन दिनांक 30.12.2002 को हो गया और दावा वर्ष 2014 में लाए हैं। अपीलाण्ट द्वारा चाहे गए अनुतोष के क्रम में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में किये गए संशोधन अनुसार दिनांक 09.09.2005 को पिता का जीवित होना आवश्यक है। परन्तु गुलाबसिंह जी का दिनांक 20.12.2004 से पहले निधन हो गया। वादोक्त आराजीयात के खातेदार परिवर्तित हो चुके हैं ऐसी स्थिति में पुत्री को कोई अधिकार नहीं मिल सकते हैं। जब रतनसिंहजी का निधन 1944 में हुआ था तब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में नहीं था। मेवाड़ रियासत ने अपीलाण्ट व प्रत्यर्थीगण के पिता श्री गुलाबसिंहजी को जागीरदार नियुक्त किया था। मेवाड़ माल कानून की धारा 106 में दिए गए प्रावधान इस बाबत स्पष्ट है। तत्समय पैतृक अधिकारों के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं था तथा जागीरदार पैतृक वारिस नहीं हो कर मेवाड़ महाराणा का नुमाइन्दा मात्र होता था। मेवाड़ रियासत 1947 में मर्ज हुई। मेवाड़ रियासत ने गुलाबसिंह को जागीरदारी अदा की। इसके उपरान्त की परिस्थितियों में जागीरदार खास के स्थान पर भूमिधारक राजस्थान सरकार हो गई। जागीरदार एबोलिसन एक्ट 1952 की धारा 10 के अनुसार खुदकाश्त की भूमियों को खातेदारी में मर्ज कर दिया। अपनी बहस के समर्थन में प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा 1993 आरआरडी (उच्च न्यायालय) डीबी. पेज 739 पुरूषोतमदास बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वगैरह , 2003 आरबीजे(सुप्रीम कोर्ट) पेज 544 सिविल अपील संख्या 15697/1996 निर्णय दिनांक 14.08.2003 रामाबाई पदमाकर पाटिल(डी) के वारिस व अन्य बनाम रूकमिनीबाई विश्नू वेखण्डे व अन्य तथा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 के विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए । प्रत्यर्थीगण के पिता को जागीरदार एबोलिशन एक्ट 1952 की धारा 10 अनुसार खुदकाश्त में दर्ज भूमि पैतृक नहीं होने से स्वअर्जित भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इस क्रम में की गई वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थीगण वसीयत के प्रभाव से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। यदि वसीयत को फर्जी बताया जा रहा है तो अपीलाण्ट को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी जो नहीं कराई। वसीयत रजिस्टर्ड है जिसे निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय में भी कोई कार्यवाही नहीं की है। पैतृक सम्पत्ति होना सिद्ध नहीं कराया है। जगदीश कंवर ने दावा किया शेष सभी पुत्र पुत्री प्रतिवादीगण है के द्वारा दावे को अस्वीकार किया है। राजकंवर एक पुत्री ओर है उसके द्वारा भी हमारे साथ दावे को अस्वीकार किया है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पक्षकारान को सुनकर विस्तृत निर्णय पारित किया है जो विधिक परिप्रेक्ष्य में उचित होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रेकार्ड तथा पत्रावली का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पर्चा खतौनी एवं नकल जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2012 में वादोक्त आराजीयात ग्रांम सुरास की आराजी नम्बर 772, 961,1035, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1156, 1157, 1158, 1159, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1177, 1233, 1315, 1341, 1367, 1368, 1633, 1634, 1635 कुल कीता 47 कुल रकबा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

85 बीघा 13 बिस्वा भूमि जागीरदार खुदकाश्त दर्ज थी। नकल जमाबन्दी सम्वत 2013 से 2016 में उपरोक्त आराजीयात गुलाबसिंह पिता रतनसिंह राजपूत जागीरदार खास दर्ज थी। मिलान खसरा भूप्रबन्ध में साबिक आराजी नम्बर 435, 548मी, 548, 560, 561, 562, 553/4, 549, 550, 551, 580, 571मी, 580मी, 644, 643 से उपरोक्त हाल आराजीयात कीता 47 बनना स्पष्ट होता है जो गुलाबसिंह पिता रतनसिंह राजपूत सा0देह के नाम दर्ज है। गुलाबसिंह के द्वारा दिनांक 14.07.1999 को श्री भगवानसिंह व लक्ष्मणसिंह के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित करा पंजीयन कराया गया जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है। उक्त वसीयतनामा में शिवसिंह व शंकरसिंह को स्व0गुलाबसिंह के ननिहाल में 70–70 बीघा जमीन व दीगर सम्पत्ति में हिस्सा दिये जाने से यहां कोई हक हिस्सा नहीं होना तथा पुत्रियों की शादी करा देने व मायरा मुकलावा कर दिए जाने से कोई हक हिस्सा नहीं होना अंकित है। गुलाबसिंह की मृत्यु दिनांक 31.12.2002 को हो गई। गुलाबसिंह की मृत्यु पर ग्राम पंचायत सुरास के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1151 को दिनांक 20.05.2003 को निर्णित किया जिसमें गुलाबसिंह की विरासत के सम्बन्ध में अंकित किया कि गुलाबसिंहजी के 4 पुत्र भगवानसिंह, लक्ष्मणसिंह, शिवसिंह, शंकरसिंह व 2 पुत्रियां जगदीश कंवर वादीया व राजकंवर है। गुलाबसिंह की पत्नि का पूर्व में देहान्त होना अंकित है। इनमें से शिवसिंह, शंकरसिंह को देवगांव गोद जाना तथा पुत्रियां जगदीश कंवर व राजकंवर के द्वारा हिस्सा नहीं चाहने का अंकन करते हुए सम्पूर्ण आराजीयात भगवानसिंह व लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज किए जाने की स्वीकृति का अंकन है। नामान्तरकरण की प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। वादोक्त आराजीयात भगवानसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत सा0देह खातेदार रहन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स0भू0वि0बैंक माण्डल के नाम दर्ज होना अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 से स्पष्ट होता है। नामान्तरकरण संख्या 1556 से भगवानसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता गुलाबसिंह के नाम दर्ज संयुक्त खातेदारी का विभाजन होने पर अलग–अलग खाते से दर्ज हुई जिसके अनुसार आ0नं0 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122 कुल कीता 17 कुल रकबा 28 बीघा 03 बिस्वा श्री भगवानसिंह के नाम पर तथा लक्ष्मणसिंह के नाम पर आराजी नम्बर 1035, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1166, 1167, 1168, 1169,1171 कुल कीता 13 कुल रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा अलग–अलग खाते में दर्ज हुई तथा इनके अलावा भगवानसिंह एवं लक्ष्मणसिंह के संयुक्त खातेदारी में आराजी नम्बर 772, 961, 1156, 1157, 1158, 1159,1170, 1172, 1177, 1233, 1315, 1341, 1367, 1368, 1633, 1634, 1635 कुल कीता 14 कुल रकबा 29 बीघा 03 बिस्वा भूमि होना अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 की नकल जमाबन्दियों से स्पष्ट होता है। लक्ष्मणसिंह पिता गुलाबसिंह के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 1893 दिनांक 20.05.2013 से खाता विश्वनाथ प्रतापसिंह, महेन्द्रपाल सिंह पिता लक्ष्मणसिंह, कौशल्या कंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज होना संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 –2072 से स्पष्ट होता है। इस प्रकार वादोक्त आराजीयात गुलाबसिंह के पश्चात श्री भगवानसिंह व लक्ष्मणसिंह तथा लक्ष्मणसिंह के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार प्रोपर्टी के खातेदारों के नामों में परिवर्तन आ चुका है। वादीया वाद में गुलाबसिंह की सम्पत्ति में से 1/6 हक हिस्सा प्राप्त करने का दावा लाई है। इस क्रम में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादीया को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि विवादित आराजीयात पैतृक भूमि है, तथा वादीया 1/6 हिस्से की जन्म से ही अधिकारी है। इस वाद में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तीन तनकीयात कायम कर विस्तृत निर्णय पारित किया है। तनकी नं0 1 आया मौजा सुरास तहसील माण्डल स्थित वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात सम्वत् 2061 खाता संख्या 302 कुल कीता 47 रकबा 85 बीघा 13 बिस्वा भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अपना हक–हिस्सा इन्द्राज कराये जाने बाबत पात्रता रखती है, नामान्तरकरण संख्या 1556 दिनांक 09.01.2008 से हुआ विभाजन अवैधानिक है। इस क्रम में पत्रावली का अवलोकन किया गया नकल जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2012 एवं मिलान खसरा भूप्रबन्ध के अनुसार वादोक्त आराजीयात जागीरदार खुदकाश्त दर्ज थी। नकल जमाबन्दी सम्वत 2013 से 2016 में उपरोक्त आराजीयात गुलाबसिंह पिता रतनसिंह राजपूत जागीरदार खास दर्ज थी। राजस्थान लैण्ड रिफोर्म्स एण्ड रिजम्प्सन जागीर एक्ट, 1952 की धारा 5(23) में उपबंधित प्रावधानानुसार जागीरदार की हैंसियत से सम्पदाधारी को वैयक्तिक रूप से जोती जाने वाली भूमि होकर खातेदारी अधिकार की है जिसे उनकी निजी मानी गई है इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त आरआरडी 1993 पुरूषोतम दास बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है इसके अनुसार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट–चेप्टर III बी–(पुराना सीलिंग कानून) (ए) सेक्शन 30 बी– के अनुसार राजस्थान लैण्ड रिफोर्म्स एण्ड रिजम्प्सन जागीर एक्ट, 1952 की धारा 10 में यह माना है कि खुदकाश्त की भूमि में जन्म से हिस्से की मांग की दृष्टि से पैतृक नहीं माना जा सकता है। वादोक्त भूमि को वादीया के द्वारा पैतृक होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 1556 दिनांक 09.01.2008 से किया गया विभाजन अवैधानिक है। जैसाकि विधिक दृष्टि में वादोक्त भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खुदकाश्त की होने से इसे स्व0 गुलाबसिंह की स्वअर्जित माना है। स्व0 गुलाबसिंह का निधन दिनांक 31.12.2002 को हो गया। जबकि अपीलार्थी के द्वारा घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद 08.12.2014 में प्रस्तुत किया। इस प्रकार वाद प्रस्तुती करण की दिनांक को गुलाब सिंह जीवित नहीं थे ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 उक्त संशोधन दिनांक 09.09.2005 से प्रभावशील हुआ है के अनुसार जब अधिनियम में किसी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया हो तो यही माना जाना चाहिए कि विधायिका ने जो सामान्य डिक्शनरी अर्थ है उसी का प्रयोग किया है। आर.डी.सक्सेना वि.बलराम प्रसाद शर्मा, 2000(3) एम.पी.एल.जे. 613(सुको) में स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार जब तक अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव देने का नहीं हो तो यही माना जाना चाहिये कि उपबंध भविष्य लक्षी है। इस सम्बन्ध में प्रहलाद सिंह पटेल वि. स्टेट ऑफ एम.पी. 1999(2)जे.एल.जे. 374 में स्पष्ट किया है। धारा 6(1) ''प्रारम्भ होने के दिनांक को या से संयुक्त हिन्दू परिवार में सहदायिक की पुत्री'' जिसका अर्थ है प्रारम्भ होने के दिनांक को या से उस हिन्दु पुरूष को सहदायिक होना चाहिये। यदि वह उस दिनांक को सहदायिक है तो उसकी पुत्री को जन्म से अधिकार सम्पत्ति में हो जाएगा जैसे कि सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्र को जन्म से अधिकार रहता है। प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व यदि हिन्दू पुरूष पिता की मृत्यु हो चुकी है तो वह पिता प्रारम्भ होने के दिनांक को सहदायिक नहीं रहा मृत चुका है। अर्थात संयुक्त हिन्दू परिवार के सहदायिक की पुत्री को हक दिया गया है जिसका अर्थ है 09.09.2005 को पिता को जीवित रहना चाहिये। यदि प्रारम्भ होने के दिनांक को पिता जीवित नहीं हो तो पुत्री सहदायिक की पुत्री नहीं हुई। यदि भूतलक्षी प्रभाव देना होता तो सहदायिक की पुत्री के बाद ''

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

या मृत सहदायिक की पुत्री'' जोड़ा गया होता। उक्त प्रकरण में गुलाबसिंह की मृत्यु वर्ष 2002 में हो चुकी थी एवं अपीलार्थी/वादीया के द्वारा वादोक्त आराजीयात में गुलाबसिंह से 1/6 हक हिस्सा प्राप्त करने हेतु वाद वर्ष 2014 में प्रस्तुत किया अर्थात वर्ष 2005 में गुलाबसिंह जी जीवित नहीं थे जिससे अपीलार्थी को गुलाबसिंहजी की वादोक्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिजम्प्सन ऑफ जागीर एक्ट 1952 की धारा 10 में वर्णित प्रावधान का अवलम्ब लेते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पूर्व ही खुद काश्त की भूमि में जागीरदार को खातेदार काश्तकार होने की मान्यता दे दी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त जागीरदार रिजम्प्सन एक्ट 1952 की धारा 9 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13 के अनुसार जागीरदार से प्राप्त होने वाली भूमि पैतृक है। इस सम्बन्ध में 1984 एआइआर पेज 174, 2006 एआइआर(सुप्रीम कोर्ट) 1895 जोसेफ एन्टोनी के वारिसान बनाम ए.जे.फ्रान्सिस सिविल अपील संख्या 4009/1998 निर्णय दिनांक 03.04.2006 इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नहीं होते हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन करते हुए वादीया/अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णित किया है जिसे हम उचित पाते हैं।

11. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 कायम की जिसके अनुसार आया उपरोक्त वादग्रस्त रकबा 85 बीघा 13 बिस्वा भूमि पुश्तैनी जायदाद है अथवा वादीया के पिता गुलाबसिंह द्वारा स्वअर्जित सम्पदा है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। इस सम्बन्ध में तनकी संख्या 01 में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन किया जा चुका है अर्थात खुदकाश्त की भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिजम्प्सन ऑफ जागीर एक्ट 1952 की धारा 10 में वर्णित प्रावधान का अवलम्ब लेते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पूर्व ही खुद काश्त की भूमि में जागीरदार को खातेदार काश्तकार होने की मान्यता दे दी गयी। वादीया के द्वारा वादोक्त आराजीयात पैतृक होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त तनकी को सिद्ध नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण के नाम खातेदारी से दर्ज आराजीयात में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 02 का निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध किया जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं पाते हैं।

12. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 – आया दिनांक 13.07.1999 को गुलाबसिंह द्वारा निष्पादित वसीयतनामा द्वारा गुलाबसिंह में वर्णित आराजीयात/वादग्रस्त आराजीयात स्वर्गीय गुलाबसिंह द्वारा स्वअर्जित सम्पदा है। उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर था । चूंकि तनकी संख्या 01 में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वादवर्णित आराजीयात स्व0 गुलाबसिंह की स्वअर्जित भूमि होने से उनके द्वारा प्रतिवादी/प्रत्यर्थी सं0 1भगवानसिंह व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पिता व 4 के पति लक्ष्मणसिंह के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 13.07.1999 को पंजीकृत कराया जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त वसीयतनामा जिसे फर्जी बताया है परन्तु इस बाबत कोई एफआइआर दर्ज नहीं कराई तथा उक्त वसीयत को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके समर्थन में प्रत्यर्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत विधिक दष्टान्त 2003 आरबीजे (सुप्रीम कोर्ट) 544प्रस्तुत किया जो इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है। उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं स्व0 लक्ष्मणसिंह के मध्य विभाजन होकर आराजीयात अलग–अलग रेकार्ड में दर्ज हो चुकी थी। प्रकरण में कोई प्रारम्भिक डिक्री जारी होकर बटवाड़ा नहीं हुआ है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त 2018(1)सीजे(सीआइवी.) (एससी) 145 (सुप्रीम कोर्ट) सुमन सुरपुर व अन्य बनाम अमर व अन्य सिविल अपील संख्या 188–189/2018 निर्णय दिनांक 01.02.2018 इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नहीं होता है। इस कारण अंकित उक्त तनकी को प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा दस्तावेजी एवं विधि अनुसार सिद्ध कराने में पूर्णतया सफल रहने से उक्त तनकी का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं अपीलार्थी/वादीया के विरूद्ध निर्णित की गई।

13. इस प्रकार तनकीवार निर्णय के अवलोकन व विवेचन उपरानत अपीलाण्ट/वादीया के विरूद्ध सभी तनकीयात निर्णित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा तनकी संख्या 2 व 3 में समान अनुतोष होने से तनकीयात संख्या 2 व 3 डिफेक्टिव बनाया जाना बताया है। तनकी संख्या 2 व 3 को लेकर न्यायालय हाजा में आपत्ति वक्त बहस की गई जो विधिसम्मत नहीं मानी जा सकती है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय में तनकी दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति के पश्चात ही निर्धारित की जाती है यदि कोई आपत्ति थी तो उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस बिन्दु को उठाना चाहिए था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस बाबत कोई आपत्ति दर्ज किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ग्राम पंचायत के द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1151 में दिनांक 13.07.1999 की वसीयत को आधार नहीं बनाया है। यदि वसीयत होती तो वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलता। नामान्तरकरण संख्या 1151

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रदर्श–12 का अवलोकन किया गया। यदि विरासत का इन्तकाल खुलता तो निश्चित ही ग्राम पंचायत द्वारा सजरे से विपरीत किये गए इन्द्राज को चुनौति दिया जाने पर मात्र भगवानसिंह व लक्ष्मणसिंह के नाम खोला गया नामान्तरकरण विवादित रहता तथा शेष वारिसान भी खातेदारी उद्घोषणा के अधिकारी होते, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा खोले गए नामान्तरकरण के आधार मात्र पर खातेदारी उद्घोषणा निर्णित नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में मात्र नामान्तरकरण को आधार नहीं बनाया जाना प्रकट है। वसीयत पत्र प्रदर्श–ए1ए मार्क है। वसीयत रजिस्टर्ड है जिसके फर्जी होने का संशय नहीं किया जा सकता। वसीयतकर्ता बरवक्त रजिस्टर्ड वसीयत जीवित थे तथा वसीयत करने के उपरान्त लगभग 3 वर्ष बाद फौत हुए हैं। नामान्तरकरण के वक्त वसीयत को आधार नहीं बना कर यदि बिना वसीयत देखें हक अधिकार तय भी किये गए हो, तो भी राजस्व न्यायालय में खातेदारी उद्घोषणा से पूर्व समस्त दस्तावेजों का सारभूत अध्ययन आवश्यक है। अतः नामान्तरकरण प्रक्रिया में वसीयत का आधार नहीं बनाने के बावजूद रजिस्टर्ड दस्तावेज होने से विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में आवश्यक तथ्य के रूप में समाहित किया है, जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन कर समस्त तनकीयात वादीया के विरूद्ध निर्णित किया जा कर वादपत्र खारिज किया है, जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के नाम पर खातेदारी से दर्ज भूमि में से अपीलार्थी किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उचित हैं जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जा कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2016 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

15. निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/X/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/33/2017

उनवान

1. श्रीमती जगदीश कंवर पुत्री गुलाबसिंह पत्नि बहादुर सिंह मड़तिया निवासी रामाजी का गुढा तहसील राणी जिला पाली

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री भगवानसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल
2. श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल
3. श्री महेन्द्रपाल सिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल
4. श्रीमती कोशल्या कंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल
5. श्री शंकर सिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी देवगांव तहसील कांकरोली जिला राजसमन्द
6. श्री शिव सिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी देवगांव तहसील कांकरोली जिला राजसमन्द
7. श्रीमती राजकंवर पुत्री गुलाबसिंह राजपूत मृतक के बजाय–
   7/1–देवेन्द्रसिंह पिता करणसिंह राठौड़ निवासी अरणिया(जावदा नीमड़ी) तहसील रावतभाटा जिला चितौड़गढ
   7/2–सरिता कंवर पुत्री करणसिंह राठौड़ पत्नि सुखपाल सिंह राजपूत निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ
8. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा पांसल जरिये शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल

रेस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 242/14 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2016

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/33/2017** मे **सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 04.10.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री दिनेश सिसोदिया प्रत्थर्थी संख्या 7/1 व 7/2के अधिवक्ता श्री एस0एल0वेद एवं प्रत्यर्थी 9 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 04.10.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जा कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2016 को यथावत रखा जाता हैं।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 04.10..2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस